

30/07/19 पञ्जावली पेस) कबुलाय उप/

अपार्थि नं. 1 की डोट से अधिकतर
~~को सो एन किं ए अनुपरिधत, शावाज~~
~~कगई काफ इतना के पहपा~~
 जवाब अपार्थि नं. 1 प्र. फन कय
 किया जात है. अपार्थि सं 2 ता 4
 की डोट से जवाब प्र. फन इत्येति
 है। अपार्थि सं 5 ता 20 की
 सम्पक तामील लोपी, उपरिधत गरी,
 डपोवत के विहडू ~~उक पछीम कपकरी~~
 क्षिपल में लाई गयी है पञ्जावली
 वइतना जवाब प्र. फन 2 ता 4.
 दिनांक 26/08/19 को पेस है

26/08/19 पञ्जावली पेस हुई। कबुलाय उप./
 अनुपरिधत/ पञ्जावली अधिकाारी
 कोर पर पञ्जावली कोर में वास्त।
 पञ्जावली कोर पर अनुपरिधत आइन्दा
 दिनांक-10/12/19 को पेस हो

10/12/19 पञ्जावली पेस हुई। वकील
 प्राप्तिगिण व अपार्थि सं 2 ता 4 के
 अधिकतर होकर। वकील अपार्थि
 सं 2 ता 4 ने जबाब नहीं दिया
 जाकर पीछे ही कथक हेतु निकले
 गिया। कथक सुनी गयी। वकील प्राप्तिगिण
 ने कथक किया बिना पक घोसना
 का ही भागी खातेकारी अधिकारी की

घोषणा नहीं हुई है अतः तदोरोने
वाद अग्रणी गज का अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबन्द करपाया जावे

अज्ञात में अग्रणी 21/1/14
के अग्रणी ने कथन किया कि
वाद घोषणा का है जो चर्च में
नहीं है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा
का अर्थ नहीं है अतः खारिज
किया जावे।

हमने कथन उपप पञ्जाब अग्रि-
कमिशन की सुनी। पञ्जाबी व फ्लावरी
पर उपलब्ध इन्सालेज का अवलोकन
किया। कथन के तथ्यों पर गौर किया
गया। खातेदारी अधिकारी से घोषणा
वाद पत्र में किया जाना है अतः

ता दौरान वाद अग्रणी गज का अस्थाई
निषेधाज्ञा से पाबन्द किया
जाता है कि अग्रि ख 0-110 136 ता
147 कुल किता-12 कुल खका 4-51 है

तम ग्राम अमरामपुरा तदमील खखेला
पिना गीक शाल्यान का विदुप नहीं
करे यदि कर दिया तब गामान्तवण
न करे। ~~अग्रणी गज का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अग्रि ख 0-110 136 ता 147 कुल किता-12 कुल खका 4-51 है~~
नष्ट स कम् हो वाद तदमील अग्रि
दस्ता है

(~~अग्रणी गज का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अग्रि ख 0-110 136 ता 147 कुल किता-12 कुल खका 4-51 है~~)
AMS